

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13/26 पत्रावली पेश हुई। अप्राचीं चाणूद सूचना अन्तः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लागी जाली है। वस्तु एक पक्षीय न्यायी गई। पत्रावली वाले आदेश दि. 17/3/26 को पेश।
५५

17/3/26 पत्रावली वाले आदेश पेश हुई। येरोकार सरकार उपा. ज. फर जानी क्वीकारट किया जाता है। विस्तृत निर्णय पुचक से लिया जाकर शा. मि. किया गया। निर्णय की एक प्रति तटसीलयाट तालेडा को पाठनाक भेजी जावे। पत्रावली फैसल इजार होकर नम्बर से कम है बाद तामील तकनीक नियमानुसार जारीयल दफतर है।
५५

तारीख फैस
7.03.20

अप्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)
पीएसडी अधिकारी श्रीमती मनरवी नरेश W.A.S.

तारीख फैसला
17.03.2026

मिसल नं०
326/प्र०पत्र/2025

तारीख दाखला
03.02.2025

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

अनाम
सुरेन्द्र पुत्र हरचन्दा जाति मीणा निवासी गोविन्दपुर बावडी

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अभिभाषक प्रार्थी - पेटोकार सरकार
अभिभाषक अप्रार्थी-

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम बल्लोप पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 969/729 रकबा 0.2428 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि खातेदार सुरेन्द्र पुत्र हरचन्दा जाति मीणा निवासी गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बून्दी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का बल्लोप अप्रार्थी द्वारा ग्राम बल्लोप पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 969/729 रकबा 0.2428 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (पक्का गोदाम) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिससे पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से जयें तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्तें भंग करने के कारण ग्राम बल्लोप पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 969/729 रकबा 0.2428 हैक्टे किस्म नहरी 2 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावे तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

my

बहस पेरोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया गया उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमों के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजों व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा